

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर**

क्रमांक:- नर्सिंग / न0 आ0 / स्था0 / जोन बीकानेर / 231 / 2023 /

दिनांक:

**आदेश**

निदेशालय के आदेश क्रमांक 309, 924, 983 दिनांक 28.04.2020, 05.10.2020, 12.10.2020 निम्न अभ्यर्थियों को नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी है। कार्मिकों द्वारा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत नियमित/स्थाई करते हुये इन्हें परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-20/नर्सिंग/ एएनएम/भर्ती-18/25/2022/351 दिनांक 23.03.2022 एवं 386 दिनांक 30.03.2022 के क्रम में इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 8 में दर्शायी गई तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में नर्सिंग ऑफिसर के पद की पे मैट्रिक्स लेवल एल-11 में न्यूनतम वेतन 37800/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/ सुश्री/ श्रीमती)	पदस्थापन जिला	जन्मतिथि	वास्तविक कार्यग्रहण तिथि	कार्मिक की काल्पनिक कार्यग्रहण तिथि जिससे परिवीक्षाकाल की गणना की जानी है	परिवीक्षा काल पूर्ण करने की दिनांक	02 वर्ष पश्चात परिवीक्षापूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	करणी राम	श्रीगंगानगर	02.07.1988	13.10.2020	-	12.10.2022	13.10.2022
2	सुष्मिता मेघवाल	हनुमानगढ	30.06.1994	07.08.2020	29.04.2020	28.04.2022	29.04.2022
3	कविता	हनुमानगढ	18.10.1993	07.08.2020	29.04.2020	28.04.2022	29.04.2022
4	सुमन कुमारी	श्रीगंगानगर	10.06.1988	07.10.2020	-	06.10.2022	07.10.2022
5	श्रीमती गुरप्रीत कौर	श्रीगंगानगर	30.08.1989	12.10.2020	-	11.10.2022	12.10.2022

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग / न0 आ0 / स्था0 / जोन बीकानेर / 231 / 2023 / 133 दिनांक: 02.03.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-बीकानेर ।
- 2 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ, श्रीगंगानगर ।
- 3 संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी ।
- 4 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजकीय जिला चिकित्सालय श्रीगंगानगर ।
- 5 संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी ।
- 6 संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- 7 प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर ई- मेल करे ।
- 8 आदेश/निजी पत्रावली ।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर